F.No. J-11015/4/2022-PLANNING
Government of India
Ministry of Culture
Archaeological Survey of India

Dharohar Bhawan,
24, Tilak Marg, New Delhi-110001
Dated the, 22.5.2023

OFFICE MEMORANDUM 22 MAY 2023

Subject:- Modified Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk in ASI notified vide G.S.R.353(E), dated 9th May, 2023.

The undersigned is directed to enclose herewith the modified Recruitment Rules for the post of Lower Division Clerk in ASI notified vide G.S.R.353(E), dated 9th May, 2023 for information and necessary action.

Encl:- As above.

22/5/23
(M. Jena)
Director(Administration)

1) PS to Secretary(Culture)/JS(ASI), Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi.
2) PS/PA to DG/ADG(Adm.)/All Jt.DGs/All Directors at ASI Hqrs.
3) The Principal Pay and Accounts Officer, Ministry of Culture, Shastri Bhawan, New Delhi-110011.
4) The Under Secretary(LE & RR), Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi with reference to their I.D.Note No.Misc-14017/36/2021-Estt.(RR), dated 01.02.2023.
5) Dy. Director(Admn.)/Dy. Director(A/C), ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
6) All Regional Directors of ASI/ All Archaeological Offices.
7) Adm.I/Adm.II/Vigilance/Cash Section, ASI Hqrs., Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
8) Pay and Accounts Office, ASI, New Delhi/Hyderabad.
9) Website Section, ASI Hqrs. Office, Dharohar Bhawan, 24, Tilak Marg, New Delhi.
10) The President/Secretary General, AIASA, New Delhi.
11) Hindi Section.
12) Office Order Folder/Guard File.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052023-245788
CG-DL-E-10052023-245788

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281] नई दिल्ली, बुधवार, मई 10, 2023/वैशाख 20, 1945
No. 281] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 10, 2023/VAISAKHA 20, 1945

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2023

सा.का.नि. 353(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अवर श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.---(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, अवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.---इस पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि.---भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.--वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है।

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.--जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.--इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पद की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन पद है अथवा गैर-चयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अवर श्रेणी लिपिक	350*(2023) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 2 (19900-63200 रू.)	चयन	18 वर्ष और 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी निदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि**
(7)	(8)	(9)
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण की हो। (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट	आयु – नहीं शैक्षित योग्यता- हां	दो वर्ष टिप्पणी : दो वर्ष की अवधि में दो सप्ताह की अनिवार्य इंडक्शन ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पूरा